

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

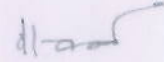
क्रमांक:- एफ.4 (ई)/(आर-23/88)/अलेसे-III/116

दिनांक:- 23-4-16

कार्यालय आदेश

श्री दिनेश चन्द मत्तड़, कनिष्ठ लेखाकार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर द्वारा 10,000/- रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर में अपराध संख्या 145/2013 दर्ज होने पर श्री मत्तड़ को इस विभाग के कार्यालय आदेश क्रमांक 2682-90 दिनांक 29.04.2013 द्वारा इनकी गिरफ्तारी दिनांक 18.04.2013 से निलम्बित किया गया था।

श्री दिनेश चन्द मत्तड़ ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 27.04.2016 के द्वारा अपने पुत्र की बीमारी के कारण निलम्बन काल में मुख्यालय अजमेर से जयपुर करने के लिए निवेदन किया है। अतः श्री दिनेश चन्द मत्तड़ का निलम्बन काल में मुख्यालय तुरन्त प्रभाव से कोषालय (शहर) जयपुर किया जाता है।



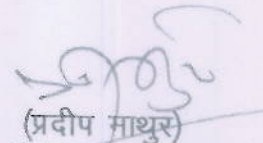
(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4 (ई)/(आर-23/88)/अलेसे-III/116

दिनांक:- 23-4-16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उपशासन सचिव, कार्मिक (क-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक, पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अधीक्षण अभियंता, पी.एच.ई.डी., जिला वृत्त, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक (जाँच), कार्यालय हाजा।
6. कोषाधिकारी (शहर) जयपुर।
7. कोषाधिकारी, अजमेर।
8. श्री दिनेश चन्द मत्तड़, कनिष्ठ लेखाकार (निलम्बित)(लिंक नं.-4556) कोषालय, अजमेर।
9. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
10. उपनिदेशक (एसीपी) को वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।
11. पदस्थापन सीट।
12. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।



(प्रदीप माथुर)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)